



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुनील दत्त अवस्थी

92- महेश शाली सिंजे मा डोड

हरदौई

पत्रांक 245

नि० प्रा० 2016/247/3

दिनांक 30/1/17

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या E-6/419/1 योजना आग्रापाली नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 9-1-17 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2016/247/3
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 30/1/17 से 29/1/2022 तक) पाँच वर्ष की दोगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा समर्टी हेतु 69.84 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
75.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


प० स० 245 /उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तदिनांक 30/1/17

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (आग्रापाली योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आग्रापाली योजना
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. [Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
OK



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

✓ श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुनील कुमार
F - 660 राजा जी पुरा
लखनऊ

पत्रांक 1286

नि० प्रा० २०१७/२८९/।

दिनांक ९/५/१७

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खस्ता संख्या E - 6/445 योजना आम्रपाली नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ८-५-१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१७/२८९/। के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९/५/१७ से ८/५/२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १४१.७। वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. ७५.०० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-२। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

✓/Caleyat
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

प० स० १२८६

/उपरोक्त

/ तददिनांक

९/५/१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-२। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्वान्तातन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (आम्रपाली याज्ञका) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्वायाम्रपाली यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓/Caleyat
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
M

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई - 6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘७० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

वेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ममता अवाहनव

C-5406 सेक्टर-12

काजा जी पुराम लखनऊ

पत्रांक 2327

नि० प्रा० - 2016/214

दिनांक 02/08/16.

भवन/भूखण्ड संख्या/झासरा संख्या E-3/67 योजना आम्रपाली योजना नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 23-6-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/214 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपदिधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत या ऐसे जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 02/08/16 से 01/08/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय-तल तथा ममटी हेतु 134:37 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 121:89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

2.08/2016

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पु० सं० 2327

/उपरोक्त

तददिनांक 02/08/16

प्राप्तिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ का स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (आम्रपाली योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मानचित्र प्राप्त किया
ममता श्री वाटर
02/08/16

2.08/2016.

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी मंजु सिंह W/o श्री शत्रुघ्नि सिंह

E-2/23 आम्बुदा कोटा
हरदोई में ५२५८८

पत्रांक 1554

नि० प्रा० 2016/201

दिनांक ०७/६/१६

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या - E-2/23 योजना आम्बुदा कोटा नगर ८२९८३

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २०.६.१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या - २०.६.१६/२०१

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ०७/६/१६ से ०६/६/२०२१ तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ६७.२० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १२१.४९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - १२ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

अमृता ७.६.१६

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 1554 /उपरोक्त

O/C, ०६/६/१६ तददिनांक

०७/६/१६

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - १२ ९०८१९० उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद ८२९८३ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय आम्बुदा कोटा उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद ९०८१९० ८२९८३ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अमृता

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

O/C ०६/६/१६



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘७० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी काम्पलेक्स, ड्रॉसरे शार्गा
माहिपतभज्ज फौस्ट काकोरी
लखनऊ

पत्रांक 2770

नि० प्रा० २०१६/१८५/।

दिनांक २०/९/१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या E - 4/34 योजना आम्पली नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २-९-१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१६/१८५/। । के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २०/९/१६ से १९/९/२०२१ तक) पाँच वर्ष की दूरी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ५७.३८ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ७५.०० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होती।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० २७७०

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (आम्पली योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक १०/९/१६

२०/९/१६

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

२०/९/१६



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी राहबन नरा

H-5/246 जामियाली योजना

पत्रांक 520

लखनऊ नि० प्रा० 2016/172

दिनांक 26/2/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त संख्या H-5/246 योजना जामियाली नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 5-2-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/172

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्रविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 26/2/16 से 25/2/2021 तक) पाँच वर्ष की दोगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 38:70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 401.74 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पू० सं० 520

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, जामियाली योजना लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, जामियाली योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

/ g/c दिनांक 26/2/16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

g/c दिनांक 24-2-16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई—६

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“‘८० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

• श्री / श्रीमती / कुमारी अंजली जायसवाल

448/1166 कवयाणपुरी नगरिया ठाकुरगंज

.....लखनऊ - 226003

पत्रांक

नि० प्रा० २०१६/१६३

दिनांक

भवन/मुख्यांक संख्या/खातरा संख्या E-2/51, योजना आम्रपाली योजना नगर लखनऊ

निमाण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14-1-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/163

..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 22/1/16 से 21/1/2021 तक) पाँच वर्ष की दोगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
 - यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा ममटी हेतु~~ 9.7: 4.6 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 121: 82 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
 - भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 21 उठो प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
 - यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
 - यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 193

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

~~विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक~~
तददिनांक 22/1/16

~~2016~~ 2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 2। ३० प्र० आवास एवं विकास परिषद् बृन्दावन यो० लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (आमपाली दोजना) ३० प्र० आवास एवं विकास परिषद् बृन्दावन यो० लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१० | विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक